आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–96 / 2020–21

1. जयपाल पुरान, पिता–स्व० लंगड़ा पुरान,
सा०–दुलमी थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।.............................अपीलार्थी।

बनाम

1. अंचल अधिकारी, बुण्डू..विपक्षी।

आदेश

10.12.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–107 R27 / 2017-2018 में दिनांक–24.11.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
आमजोरा	बुण्डू	30	81	794	08 डिसमील

चौहदीः–उ०–प्लॉट नं०–794 का भाग, द०–दुलाल कुवर चेल,
पू०–प्रस्तावित रास्ता, प०–प्रस्तावित रास्ता।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–107 R27 / 2017-2018 का ऑनलाईन जनित अस्वीकृति की सूचना की प्रति का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

सुनवाई के दौरान अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार अंचल अधिकारी के द्वारा बिना कोई कारण के उपरोक्त भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अपीलकर्त्ता ने उपरोक्त भूमि को विक्रेता स्वरी देवी उर्फ सरी देवी, पति दीवाकर मांझी, ग्राम–मांझी टोला, बुण्डू, पो०+थाना–बुण्डू जिला–राँची से निबंधित विक्रय पट्टा सं०–282 दिनांक–02.12.2011 द्वारा क्रय किया है एवं उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है। उपरोक्त भूमि का विक्रेता के नाम से जमाबंदी पंजी।।, जिल्द संख्या–11, पृष्ठ संख्या–184 पर जमाबंदी दर्ज है, बावजूद इसके निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के दस्तावेजों की जाँच–पड़ताल किए बिना अपीलार्थी के नामांतरण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। अतः अनुरोध है कि इस अपील वाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय को उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपीलकर्त्ता के नाम से करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनके राजस्व दस्तावेजों की जाँच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2021.08.24 11:13:53 +05:30
Location: 10.93.79.7

[illegible] को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

1139(ii)/CO
31.12.2020